मध्य प्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय

क्र एफ 3(ए)10/2014/पी–1/इकतीस   भोपाल, दिनांक

विषयः– दिनांक 01.01.2014 की स्थिति में मानचित्रकार (विद्युत/यांत्रिकी) से सहायक यंत्री (विद्युत/यांत्रिकी) के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 29.10.2014 का कार्यवाही विवरण ।

---::0::---

उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे :–

1.	प्रो.एस.पी.गौतम सदस्य म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर	अध्यक्ष
2.	श्री राधेश्याम जुलानिया प्रमुख सचिव म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग, भोपाल	सदस्य
3.	श्री एम.जी. चौबे, प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, भोपाल	सदस्य
4.	श्री एन.के.परिहार अधीक्षण यंत्री (प्रशासन) कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल	सदस्य (म.प्र.लोकसेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के नियम–11 के प्रावधान अनुसार

---

1. **प्राधिकार एवं सिद्धान्त :–**

यह चयन मध्यप्रदेश जल संसाधन अभियांत्रिकी तथा भौमिकी सेवा (राजपत्रित) भरती नियम, 1968 सहपठित मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया है। पदोन्नतियां वरिष्ठता–सह–योग्यता (सीनियारिटी–कम–मेरिट) के सिद्धान्त पर आधारित है।

2. **न्यायालयीन स्थगन :–**

इस चयन के संबंध में कोई न्यायालयीन स्थगन नहीं है।

29.10.14   29.10.14

3. वरिष्ठता एवं पदक्रम सूची :–

मानचित्रकार (सिविल) की दिनांक 01.04.2013 की स्थिति में जारी पदक्रम सूची को पदोन्नति का आधार बनाया गया है। इस वरिष्ठता सूची के आधार पर चयन के संबंध में कोई न्यायालयीन स्थगन अथवा ऐसा कोई विशिष्ट निर्देश नहीं है जिसके पालन के अभाव में बैठक किया जाना युक्तियुक्त न हो ।

4. अर्हकारी सेवा :–

पदोन्नति के लिए उन्हीं मानचित्रकार (सिविल) के नामों पर विचार किया गया, जिन्होंने विभाग के भरती नियमों के अनुसार मानचित्रकार (सिविल) के पद पर दिनांक 1.1.2013 की स्थिति में 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है।

5. विचार क्षेत्र :–

मध्यप्रदेश लोकसेवा (पदोन्नति) नियम,2002 के नियम 6 के अनुसार वरिष्ठता–सह–उपयुक्तता पर आधारित पदोन्नतियों के संबंध में कोई विचार क्षेत्र नहीं है। वरिष्ठता कम के अनुसार अर्हता प्राप्त अधिकारियों के नाम उस सरल क्रमांक तक देखे गये जिस क्रमांक तक वांछित उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध हो गए।

6. सनिष्ठा प्रमाण पत्र :–

विचार क्षेत्र में सम्मिलित अधिकारियों की सनिष्ठा उनके गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर विभाग द्वारा प्रमाणित की गई है ।

7. पदोन्नति की कसौटियां तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के संदर्भ में वर्गीकरण :–

(i) न्यूनतम कसौटी :–

(अ) संनिष्ठा संदेह से परे हो ।

(ब) विगत 05 वर्षो के गोपनीय प्रतिवेदनों का मूल्यांकन समग्र रूप से "अच्छी" श्रेणी से कम का नहीं हो, अर्थात न्यूनतम 10 अंक हों।

(स) अंतिम वर्ष का गोपनीय प्रतिवेदन औसत से कम श्रेणी का न हो।

29.12.14

(ii) गोपनीय रिकार्ड का समग्र वर्गीकरण :–

(अ) विगत 05 वर्षो का समग्र मूल्यांकन "अच्छी" श्रेणी से कम नहीं हो।

(ब) जिन वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है उन मामलों में विचार के लिए पूर्व के वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन देखकर समिति द्वारा मूल्यांकन किया गया।

8. रिक्तियों की गणना :–

दिनांक 01.01.2014 की स्थिति में सहायक यंत्री (सिविल) की कुल 27 रिक्तियॉ हैं। मानचित्रकार के 05 प्रतिशत कोटे अनुसार सहायक यंत्री (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु 03 पद होते है। 03 पदों में से 02 अनारक्षित एवं 01 पद अनुसूचित जनजाति के लिए उपलब्ध हैं।

9. पदोन्नति समिति की अनुशंसाएं:–

कंडिका 7 में निर्धारित किये गये मापदण्डों के आधार पर समिति की अनुशंसाएं निम्नानुसार हैं :–

(I) अनारक्षित वर्ग

(अ) पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये अधिकारी

स.क्र.	दि.01.04.13 की स्थिति में पदकम कमांक	अधिकारी का नाम
1	01	श्री सुभाष कोल्हे
2	02	श्री राम बिहार त्रिवेदी

(ब) परिभ्रमण : निरंक

(स) बन्द लिफाफे की अनुशंसा : निरंक

(द) पदोन्नति हेतु उपयुक्त प्रतीक्षा सूची :

स.क्र.	दि.01.04.13 की स्थिति में पदकम कमांक	अधिकारी का नाम	प्रतीक्षा सूची क.
1	03	श्री उमाशंकर सोनी	क. 1
2	04	श्री अनिल कुमार शुक्ला	क. 2

29.10.14

(iii) अनुसूचित जाति

अनुसूचित जाति वर्ग की पदोन्नति हेतु कोई रिक्ति नहीं है।

(vi) अनुसूचित जनजाति

अनुसूचित जनजाति वर्ग के मानचित्रकार (सिविल) कार्यरत नहीं होने से 01 पद अग्रणित किया गया।

(प्रो. एस.पी.गौतम) सदस्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष	(राधेश्याम जुलानिया) प्रमुख सचिव जल संसाधन विभाग सदस्य	(एम.जी.चौबे) प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग सदस्य	(एन.के परिहार) अधीक्षण यंत्री (प्रशासन), कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग सदस्य